

मोबाइल नम्बर/ Mobile Number-

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन <sup>ई-मेल/E-mail</sup> -EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS ORGANISATION

## <u>संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार)</u>

COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAAR)

(उन मामलों में, जहां फार्म-11 (न्यू) में सदस्य की पूर्ण जानकारी, जैसे आधार नम्बर एवं बैंक खाता विवरण यू.ए.एन. पोर्टल पर उपलब्ध है एवं यू.ए.एन. एक्टिवेट हो चुका है) (APPLICABLE IN CASES WHERE EMPLOYEES' COMPLETE DETAILS IN FORM-11 (NEW), AADHAAR NUMBER AND BANK ACCOUNT DETAILS ARE AVAIALABLE ON UAN PORTAL AND UAN HAS BEEN ACTIVATED)

फार्म सं. – 19 (भविष्य निधि अंतिम निपटान) / 10सी ( पेंशन प्रत्याहरण) / 31 (भविष्य निधि नॉन रिफंडेबल प्रत्याहरण) [FORM NO. – 19 (PF FINAL SETTLEMENT) / 10C (PENSION WITHDRAWAL BENEFITS) / 31 (PF NON-REFUNDABLE ADVANCE)]

1	दावा जिसके लिए आवेदन किया है Claim applied for: (जो लागू हो, उस पर √ का निशान लगाएं) (Tick whichever applicable)		
	i) भ.नि.अंतिम निपटान /Final PF Settlement ( ) ii) पेंशन प्रत्याहरण/लाभ Pension Withdraw	val Benefit	ts( )iii) भ.नि. नॉन रिफंडेबल अग्रिम P.F. Non-Refundable Advance( )
2	सदस्य का नाम (स्पष्ट शब्दों में): Name of the member: (IN CAPITAL LETTERS)		
3	क) पिता का नाम /(a) Father's Name:		
	ख) पति का नाम/(b) Husband's Name:		
4	(क) यूनिवर्सल खाता संख्या (यू.ए.एन.) / Universal Account Number(UAN)		
	(ख)भ.नि. खाता संख्या /P.F Account No		
5	आधार नम्बर / Aadhaar Number:		
6	स्थापना में कार्य ग्रहण की तिथि/ Date of joining the establishment:		
7	क) भ.नि. नॉन रिफंडेबल अग्रिम का उद्देश्य (जो लागू हो, उस पर √ का निशान लगाएं) Purpose of PF Advance: (Tick √ whichever applicable)	<b>क्र.सं</b> SN	भ.नि. नॉन रिफंडेबल अग्निम का उद्देश्य / Purpose of Non-refundable PF Advance
		i	आवास ऋण/ स्थल/मकान/फ्लैट की खरीद या निर्माण/ वर्तमान मकान में
	The second state of the second (in Da.)		अतिरिक्त परिवर्तन/ आवास ऋण को चुकाने में (पैरा 68बी/68बीबी/68बीसी)
	ख) राशि (रुपयों में)/ Amount (in Rs.):		Housing Loan/Purchase of site/House/Flat or for
			Construction/Addition, alteration in existing house/Repayment
	<ul> <li>साईट/मकान/फ्लैट या "एजेंसी" के माध्यम से निर्माण या आवासीय ऋण या एल.आई.सी. की अदायगी के उद्देश्य से ली जाने वाली राशि के लिए प्राप्तकर्ता का पता और चैक जिसके पक्ष में</li> </ul>		of Housing loan (Para 68B/68BB/68BC)
	अदायगा के उद्देश्य से ला जान वाला राशि के लिए प्राप्तकता का पता और चके ।जसके पक्ष म बनाया जाना है दर्शाएं।	ii	फैक्टरी की तालाबंदी या बंद होना (पैरा 68एच) / Lockout or closure of
	For purpose of Site/House/Flat or Construction through "agency" or		factory (Para 68H)
	Repayment of Housing Loan or LIC, indicate cheque to be drawn "in favour	lii	बेरोजगारी अग्रिम (पैरा 68एच.एच) /Unemployment Advance (Para
	of" and payee's address.		68HH)
	· ·	iv	सदस्य/परिवार की बीमारी (पैरा 68जे)/ Illness of member/family (Para
			68J)
		v	स्वयं/पुत्र/पुत्री /भाई/बहन का विवाह (पैरा 68के) / Marriage of self/son/
			daughter/brother/ sister (Para 68K)
		vi	बच्चों के मैट्रिक के बाद की शिक्षा (पैरा 68के) / Post Matriculation
			education of children (Para 68K)
		vii	प्राकृतिक आपदा के मामले (पैरा 68एल) / Natural calamity (Para 68L)
		viii	स्थापना में बिजली उपलब्ध न होने की स्थिति में (पैरा 68एम) / Cut in
			electricity in establishment (Para 68M)
		ix	मेडिकल उपकरण की खरीद (पैरा 68एन) / Purchasing equipment by
			physically handicapped (Para 68N)
		x	सेवानिवृत्ति से एक वर्ष से पहले (पैरा 68एनएन) / One year before
			retirement (Para 68NN)
		xi	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश (पैरा 68एनएनएन) / Investment in
			Varistha Pension BimaYojana (Para 68NNN)
8	नौकरी छोड़ने की तिथि (यदि आवेदन भ.नि. ऋण/अग्रिम हेतु है तो आवश्यक नहीं) Date of leaving service: (not required if applying for PF Advance)		
9	क) स्थायी खाता संख्या (पैन) (केवल 5 वर्ष से कम सेवाकाल होने पर)		
	(कृपया फार्म 15जी/15एच की दो प्रतियां संलग्न करें, यदि लागू हो)		
	Permanent Account No.(PAN): (Only in case of service less than 5 years)		
	(Please enclose two copies of Form No. 15G/15H, if applicable)		
	ख) नौकरी छोड़ने का कारण / Reason of leaving Service:		
	- सेवा समाप्ति (क) खराब स्वास्थ्य के कारण (ख) नियोक्ता के व्यापार के संकुचन विच्छेदन के कारण		
	या (ग) सदस्य के नियंत्रण से परे कोई कारण		
	Service terminated on account of (a) ill health of member		
	(b) Contraction /Discontinuation of employer's business or (c) Other Cause		
	beyond the control of the member		
	- व्यक्तिगत कारण / Personal Reasons		
10	पत्र ब्यवहार का पता Full Postal address		
			पिन/Pin

प्रमाणित करता हूं कि विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सही है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मैंने यू.ए.एन. पोर्टल में सीडेड डाटा देखा है और सभी डाटा प्रपत्र संख्या 11 (नया) सहित बैंक खाता विवरण और आधार संख्या, सही पाया है। कृपया यू.ए.एन. पोर्टल में दिए गए बैंक खाते में राशि का भुगतान करें। एक निरस्त चैक (जिसमें सदस्य का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएस कोड दिया गया है) संलग्न है।

Certified that the particulars are true to the best of my knowledge. I certify that I have gone through the data seeded in UAN Portal and found all data, including Form No.-11 (New), bank account details and Aadhar number, to be correct. Please make the payment in the bank account mentioned in the UAN Portal. A cancelled cheque (containing member's name, bank account number and IFS Code) is attached herewith.

यदि राशि का उपयोग उपर्युक्त कॉलम (7) में दिए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए होता है तो मैं संपूर्ण राशि को ब्याज सहित वापस करने के लिए उत्तरदायी हूं।

In case the amount is used for any purpose other than stated in column (7) above, I am liable to return the entire amount with penal interest.

## संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार) भरने हेतु अनुदेश INSTRUCTION FOR FILLING THE COMPOSITE CLAIM FORM (AADHAAR)

(संयुक्त दावा प्रपत्र (आधार) ऐसे मामलों में लागू होगा जहां सदस्य प्रपत्र-11 (नया) में विवरण पूर्ण करता है, आधार नंबर तथा बैंक खाते का विवरण यू.ए.एन. पोर्टल पर उपलब्ध है तथा यू.ए.एन. सक्रिय किया गया है। ऐसे सदस्य नियोक्ता के सत्यापन के बिना सीधे संबंधित क.भ.नि.सं. कार्यालय में फॉर्म जमा कर सकते हैं।)

(The Composite Claim Form (Aadhaar) is applicable in cases where a member's complete details in Form-11 (New), Aadhar number and bank account details are available on the UAN Portal and UAN has been activated. Such members can submit this form directly to the concerned EPFO office, without attestation of claim form by the employers.)

- 1. निम्नांकित हेतु आवेदन किया जा सकता है:- The application can be made for :
  - i) भविष्य निधि के अंतिम निपटान/ Final P.F. Settlement
  - ii) पेंशन प्रत्याहरण लाभ (केवल 10 वर्ष से कम का सेवाकाल होने पर) Pension Withdrawal Benefits (only if the service is less that 10 years)
  - iii) भविष्य निधि नॉन रिफंडेबल अग्रिम / PF Advance, तदनुसार बॉक्स में निशान लगाएं/ Tick the boxes accordingly.
- 2. नाम: नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें/ Name : Name in CAPITAL LETTERS
- 3. क) पिताका नाम: स्पष्ट अक्षरों में लिखें/ a) Father's Name : Kindly write clearly.
  - ख) पति का नाम: स्पष्ट अक्षरों में लिखें / b) Husband's Name: Kindly write clearly.
- 4. यू.ए.एन.: 12 अंकों की यूनिवर्सल खाता संख्या का उल्लेख करें / UAN: Please mention the 12 digit Universal Account Number.
- 5. कृपया बारह अंकों की आधार संख्या का उल्लेख करें/Kindly mention 12 digits Aadhaar Number
- 6. स्थापना में कार्य ग्रहण की तिथि: दिन/माह/वर्ष के फार्मेट में / Date of Joining the establishment: In DD/MM/YYYY format
- 7. अग्रिम लेने का कारण तथा कितनी अग्रिम राशि की आवश्यकता है :- Purpose of PF Advance and Amount required: इनमें से कोई एक कारण होना चाहिए / The purpose may be one of the following:
  - i) आवासीय ऋण /भूमि /घर /फ्लैट खरीदने हेतु/ वर्तमान घर में निर्माण/अतिरिक्त फेर बदल/ आवासीय ऋण को चुकाने के लिए: कोई दस्तावेज अपेक्षित नहीं है। किसी दस्तावेज (जैसे नया घोषणा पत्र/ उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि) की आवश्यकता नहीं है। Housing Loan/purchase of site/house/flat or for construction/Addition alteration in existing house/Repayment of Housing loan: No document is required. No document (e.g. New Declaration Form/Utilization Certificate etc.) is required.

यदि अग्रिम साईट/मकान/फ्लैट की खरीद या एजेंसी के माध्यम से निर्माण या आवासीय ऋण की अदायगी के लिए है तो जिसके पक्ष में अदा किया जाना है उसका नाम दर्शाए ।

In case the advance is for purchase of site/house/flat or construction through Agency or repayment of Housing Loan then indicate the name in whose favour the payment has to be made.

- ii) फैक्ट्री की तालाबंदी या बंद होना/ Lockout or closure of factory: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है /No document is required
- iii) Unemployment advance: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/No document is required.
- iv) सदस्य/परिवार की बीमारी/Illness of member/family: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/ No document is required.
- v) स्वयं/बेटा/बेटी/भाई/बहन की शादी/Marriage of self/son/daughter/brother/sister: किसी दस्तावेज (जैसे शादी कार्ड) की आवश्कता नहीं है/No document (e.g. Marriage Card) is required.
- vi) बच्चों की मैट्रिक के बाद की शिक्षा/Post Matriculation education of children: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/No document is required.
- vii) प्राकृतिक आपदा के असाधारण मामले/Natural calamity of exceptional nature: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है /No document is required.
- viii) स्थापना में बिजली की कटौती/Cut in electricity in establishment: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है /No document is required.
- ix) शारीरिक रूप से विकलांग द्वारा उपकराण की खरीद/Purchase of equipment by physically handicapped: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/No document is required.
- x) सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व: कुल भ्र.नि. बकाया का 90% तक निकाल सकते हैं/One year before retirement: 90% of total PF balance can be withdrawn: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/ No document is required.
- xi) विरष्ठ पेंशन बीमा योजना में निवेश: कुल भ.नि. बकाया का 90% तक एल.आई.सी. में अंतरित कर सकते हैं/Investment in Varistha Pension Bima Yojana: 90% of total PF balance can be transferred to LIC: किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है/ No document is required.
- 8. नौकरी छोड़ने की तिथि: दिन/माह/वर्ष के फार्मेट में / Date of leaving service: In DD/MM/YYYY format
- 9. (क) स्थायी खाता संख्या (पैन): पांच वर्ष से कम का सेवाकाल होने पर / (a) Permanent Account Number (PAN): In case of service less than 5 years.

फार्म 15जी/15एच की दो प्रतियां संलग्न करें, यदि लागू हो / Please submit two copies of Form 15G/15H, if applicable.

(यदि भ.नि. से नॉन रिफंडेबल अग्रिम के लिए आवेदन कर रहे हैं तो पैन की आवश्यकता नहीं है) / (PAN not required if applying for PF Advance)

(ख) नौकरी छोड़ने का कारण: केवल भ.नि. अंतिम निपटान के मामले में : इनमें से कोई एक कारण होना चाहिए / (b) Reason for leaving service : Only in case of PF Final Settlement. The reason may be:

- I. समापन के कारण/ Termination on account of
  - a) सदस्य की बीमारी/ III health of member
  - b) नियोक्ता के व्यापार में कमी/बंद होना /Contraction /Discontinuation of employer's business or
  - c) सदस्य के नियंत्रण से बाहर अन्य कारण/ Other cause beyond the control of the member
  - d) व्यक्तिगत कारण / Personal Reasons
- II. विवाह (महिला सदस्य के लिए) / Marriage (for female member)
- III. विदेश में स्थायी रूप से बसने के कारण/ Permanent Settlement Abroad
  - आयकर (टीडीएस) काटा जाएगा यदि सेवा 5 वर्ष (60 माह) से कम है। आयकर (टीडीएस) नहीं काटा जाएगा यदि कुल शेष रू. 50,000 से कम है। यद्यपि ऐसे मामलों में टीडीएस 10% की दर से काटा जाएगा यदि सदस्य पैन प्रस्तुत करता है। पैन प्रस्तुत नहीं किए जाने के मामले में 34.608% की दर से टीडीएस काटा जाएगा।

Income Tax (TDS) is deducted if the service is less than 5 years (60 months). No Income Tax (TDS) is deducted in case the total balance is less than Rs. 50,000/-. However, TDS is deducted @10% if the member submits PAN in such cases. In case PAN is not submitted, then TDS @34.608% is deducted.

- वर्तमान स्थापना के साथ-साथ पिछली स्थापना की कुल सेवा की गणना की जाएगी, अतः सभी भविष्य निधि खातों को एक साथ मिलाने का सुझाव दिया जाता है।
  - The total service in the present establishment as well as previous establishment is counted and, therefore, it is advisable to merge all PF accounts.
- 10. कृपया सदस्य के पते का उल्लेख करें/ Kindly mention the address of the member
- 11. सदस्य द्वारा राजस्व स्टांप (रूपये 1/- ) लगाने की आवश्यकता नहीं है / No Revenue stamp (Re. 1/-) is required to be affixed by the member.